



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 21 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तारा

दिनांक-05.09.2024

दिनांक 04/05.09.2024 को थाना मोहनलालगंज 07, ठाकुरगंज 05, आशियाना 02, सआदतगंज 02, निगोहाँ 02, बन्थरा 01, कैसरबाग 01, मदेयगंज 01 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में थाना बीकेटी 01, महानगर 01 अभियुक्त गिरफ्तारा। इस प्रकार वांछित में कुल 21 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तारा।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना विभूतिखण्ड-दिनांक 05.09.2024 थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री विक्रान्त द्विवेदी पुत्र श्री अश्वनी कुमार द्विवेदी निवासी गली नम्बर 18 खरगापुर गोमतीनगर लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि वादी उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करता है दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 16.30 बजे शाम वादी जब उच्च न्यायालय लखनऊ में था तब मोबाइल नम्बर 9559104020 से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपके खाते में 20,000/-रुपये गलती से ट्रान्सफर हो गये है ,उसके बाद मोबाइल नम्बर 7340273956 एवं मोबाइल नम्बर 637835854 से कॉल लगातार आता रहा और पैसा वापस करने का निवेदन करता रहा कि गलती से मेरा पैसा आपके पास चला गया है कृपया वापस कर दें फिर वादी के गूगल पे नम्बर से 2,000/-रुपये यू0पी0आई0 नम्बर से क्यूआर कोड पर ट्रान्सफर किया । इसके बाद वादी द्वारा अपने बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से खाता संख्या 501030140662 में 13,000/-रुपये ट्रान्सफर किया गया । इस प्रकार वादी के साथ कुल 15,000/-रुपये का स्कैम फर्जी तरीके से किया गया। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 308/2024 धारा 318(2)/318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना विभूतिखण्ड-दिनांक 05.09.2024 थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री अशोक कुमार पाण्डेय निवासी टीसी 13 विभूतिखण्ड थाना विभूतिखण्ड लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि दिनांक 28.08.2024 को वादी अपने कार्यालय टीसी-13 विभूतिखण्ड में काम कर रहा था समय करीब 13.00 बजे मोबाइल नम्बर 9692296708 एवं 8767796915 से बारी-बारी कॉल आना शुरु हुयी कि हम आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक से बोल रहे है और Rupay credit बनाते हैं आपका नाम क्रेडिट कार्ड बनवाने की लिस्ट में आया है । फिर उन्होने वादी के आधार कार्ड नम्बर जो उनके पास पहले से रहा होगा को कन्फर्म किया । इसके बाद समय 16.30 बजे वादी ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें आर0बी0एल0 बैंक जिसका वादी क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है कि ओर से मैसेज था जिसमें यह लिखा था कि You have spent INR Rs 30885/- at www.mobikwik.com on RBL Bank credit card (8540) on 28.08.2024 यह मैसेज वादी के मोबाइल पर 16.14 बजे आया था जबकि वादी उस दिन इस कार्ड का कहीं प्रयोग नहीं किया था । वादी ने तुरन्त बैंक के कस्टमर केयर पर फोन करके अपना कार्ड ब्लॉक कराया । और अपने साथ में वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करायी । बैंक की ओर से बताया गया कि इस घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर हमे ई-मेल कीजिए । जिसके पश्चात वादी द्वारा ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करायी गयी। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 306/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना तालकटोरा-दिनांक 05.09.2024 थाना तालकटोरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री दिव्यांशु शुक्ल पुत्र श्री हिमांशु शुक्ल निवासी सी 1865 राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ ने थाना तालकटोरा पर सूचना दिया कि वादी की एक फार्च्यूनर कार जिसका नम्बर यू0पी0 32 एम0पी0 7711 है, रोज की तरह वादी के घर के सामने खड़ी थी। दिनांक 04.09.2024 को सुबह करीब 04.35 बजे से 04.50 बजे के मध्य वादी की गाड़ी का सिक्कूरिटी अलार्म बजने लगा जिसे सुनकर वादी तुरन्त गाड़ी के पास पहुँचा और देखा तो कुछ अज्ञात लोगो द्वारा वादी की गाड़ी का पिछला शीशा ईंट के द्वारा तोड़कर गाड़ी में रखा वादी का निजी ऑफिस बैग जिसमें जरूरी कागजात व करीब 45,000/-रुपये और गाड़ी में रखी वादी के हाथ की घड़ी चोरी कर ले गये। **इस सूचना पर थाना तालकटोरा पर मु0अ0सं0 182/2024 धारा 305(सी)/324(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गोमतीनगर विस्तार-दिनांक 05.09.2024 थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि वादी श्री सिंहासन वर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ वर्मा निवासी एस-1/263 सरस्वतीपुरम निकट कामाख्या धाम राम आसरे पुरवा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि दिनांक 28.07.2024 को वादी के मोबाइल नम्बर पर मोबाइल नम्बर 9135645698 से कॉल आया कि आपके श्रमकार्ड पर 2500/-रुपये या है और हर माह 1000/-रुपये आयेगा। आप अपने बैंक पासबुक की फोटो कॉपी भेज दीजिए। वादी द्वारा विश्वास कर व्हाट्सएप्प के माध्यम से उसके नम्बर पर अपनी पासबुक की फोटो कॉपी भेज दी। अगले दिन जब वादी ने मैसेज देखा तो पहले मैसेज पर ट्रांजेक्शन 4299/-रुपये का और दूसरे मैसेज पर ट्रांजेक्शन 95593/-रुपये का हुआ। इस प्रकार से वादी के कुल 99892/-रुपये बैंक एकाउण्ट भारतीय स्टेट बैंक शाखा अशोक मार्ग लखनऊ से निकाल लिया गया। जिसके पश्चात वादी द्वारा साइबर थे पर शिकायत दर्ज करायी गयी। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0 173/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना जानकीपुरम-दिनांक 05.09.2024 थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि वादी श्री विनय सिंह पुत्र श्री विजय सिंह निवासी ग्राम कमलाबाद बढौली छठामील क्षत्रिय टावर मिर्जापुर नहर थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि वादी ग्राम कमलाबाद बढौली छठामील क्षत्रिय टावर मिर्जापुर नहर थाना जानकीपुरम लखनऊ में ड्रीम टाउन ओयो होटल किराये पर बिल्डिंग लेकर चलाता है, जिसमें दिनांक 03.09.2024 को समय करीब 02.00 बजे दो व्यक्ति मेन दरवाजा तोड़कर अन्दर घुस गए और बाथरूम, किचन तथा वासवेसिंग में लगी सभी पीतल की 60 टॉटिया, इन्वर्टर बैटरी, सभी एलईडी बल्ब व अन्य जरूरी सामान खोलकर उठा ले गये जैसा की सीसीटीवी कैमरे में पूरा दिखायी दे रहा है। **इस सूचना पर थाना जानकीपुरम पर मु0अ0सं0 274/2024 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

